प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत मे इस वण्डपीठ के समक्ष पेश।

> राज्य द्वारा एडीपीओ उप०। आरोपी सहित अधिवक्ता श्री के०के० शुक्ला उप०। फरियादी राजीव उर्फ राजू उप0। प्रकरण राजीनामा आवेदन पर आदेश हेतु नियत

है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे यह पाया गया कि प्रकरण में आरोपी बांकेलाल शर्मा के विरूद्ध भा०द०सं० की धारा 294,323 एवं 506 भाग–2 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये हे। राजीनामा पूर्व में तस्दीक किया जा चुका है। फरियादी ने आरोपी से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा लोकहित में है अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तृत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं राजीनामा के आधार पर आरोपी बांकेलाल शर्मा का भा०द०सं० की धारा 294,323 एवं 506 भाग–2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी पूर्व से जमानत पर है अतः उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।

> प्रकरण मे जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार

भेजा जावे। खण्डपीठ सदस्य. क्.1-

क.2−

सही /-(प्रतिष्टा अवस्थी) पीटासीन अधिकारी खण्डपीट क0 21 गोहद AND STATES OF ST जिला भिण्ड म0प्र0